न्यायालय जिला कलक्टर,उदयपुर(राज.)

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **19/2016** (आवंटन निरस्ती)

श्री रूपसिंह पिता श्री लालसिंह राजपूत निवासी सतावल, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....**प्रार्थी**

बनाम

1. श्री अमरचन्द्र पिता श्री जालमा भाट, निवासी सतावल तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर हाल 47, आनोड़सिंह की भागल, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री वजेराम पिता श्री जालमा भाट, निवासी सतावल तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर हाल 47, आनोड़सिंह की भागल, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....**विपक्षीगण**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत दिनांक 05.11.1997 को निरस्त कराये जाने बाबत्

उपस्थितः— 1. श्री भीमराज पटेल, अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांकः 26.12.17

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सतावल तहसील वल्लभनगर के आराजी संख्या 66/2 रकबा 4 बिघा भूमि विपक्षी संख्या 1 अमरचन्द पिता जालमा भाट निवासी सतावल तहसील वल्लभनगर को दिनांक 29.10.77 को उप जिला कलक्टर वल्लभनगर द्वारा आवंटन किया जाने से क्षुब्ध होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

जिस पर न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपने प्रकरण संख्या 09/11 प्रार्थना पत्र (आवंटन निरस्ती) निर्णय दिनांक 21.08.12 से आवंटित आराजी संख्या 66/2 रकबा 4 बिघा भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर उक्त भूमि पूर्ववत राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के

आदेश दिये गये। जिससे आवंटी अमरचन्द पिता जालमा द्वारा रूष्ट होकर प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर में की गई।

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा अपने प्रकरण संख्या 10/2013 (उदयपुर ऑर्डर) निर्णय दिनांक 31.08.16 से यह आदेश पारित किया गया कि ''अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.08.12 अपास्त करते हुए संबंधित हितबद्ध समस्त पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देकर तथा उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका जॉच रिपोर्ट तलब की जाकर निर्णय पारित करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जाता हैं। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.11.16 को उपस्थित रहे।''

पत्रावली पुनः प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर मौके की रिपोर्ट अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर से प्राप्त की गई। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर से बावजुद निर्देश के विपक्षी अनुपस्थित रहा। जिसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 04.12.17 को अमल में लायी गई। मौका रिपोर्ट मय पर्चा मौका मुकेश कुमार कलाल आर.एस.एस. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर से जरिये पत्रांक 2201 दिनांक 06.11.17 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली हैं। इनके द्वारा दिनांक 21.04.17 को उभयपक्ष की उपस्थिति में वादग्रस्त भूमि का मौका देखा गया। मौके में मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर वर्तमान में प्रकरण से संबंधित भूमि खाली होकर पड़त हैं। मौके पर कब्जे के कोई निशान नहीं हैं।

उक्त मौका रिपोर्ट अनुसार न्यायालय के पूर्व आदेश कमांक प्रकरण संख्या 09/11 निर्णय दिनांक 21.08.12 की तस्दीक होती हैं। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा भी कोई नये तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये।

उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थी के सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि न्यायालय द्वारा पूर्व में जो आदेश दिनांक 21.08.12 से विस्तृत आदेश पारित किया गया है जिसमें न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर विवेचन कर आवंटित भूमि को पुनः

बिलानाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये जो न्यायसंगत होकर उचित हैं। अतः न्यायालय उसी आदेश के परीपेक्ष्य में पुनः नये सीरे से आदेश प्रदान करता है कि आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई हैं। अतः श्री अमरचन्द पिता जालमा भाट, निवासी सतावल को मौजा सतावल तहसील वल्लभनगर की आराजी नम्बर 66/2 रकबा 4 बिघा भूमि पर उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा किया गया आवंटन दिनांक 29.10.77 का निरस्त किया जाने एवं इसके पश्चात् उक्त आराजी रकबा संबंधित किसी भी प्रकार से रदोबदल भी किया गया हो तो उसे निरस्त किया जाकर उक्त आराजी का रकबा पूर्ववत राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। साथही निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि पर किसी का कब्जा/अतिक्रमण हो तो उसे नियमानुसार मौके से बेदखल किया जाकर भूमि तहवील सरकार ली जावें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार वल्लभनगर को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें एवं एक प्रति उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर को प्रेषित की जाकर लिखा जावे कि विपक्षी को आवंटन की पत्रावली संख्या 1608/77 पर रखी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर